

25

पर्चा डिक्री

**यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न०:- 477/2025

रीटा देवी पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं० 02, सिलवाला कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादीया

- बनाम्
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज
 2. शुभावना पुत्री सुरेन्द्र कुमार
- जाति जाट निवासीयान सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 27/01/26.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के सम्मक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चंक नं० 6 एस. एल.डबल्यू के खाता सं० 270/215 में प०न० 214/308 मु० 21 किलानं० 4/.253, 5/1/.228, 5/2/.025 है० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है० खाला, प०न० 215 /308 मु० 22 किलानं० 3/.253, 4/2/.127, 7/3/.133, 8/1/.240 है० की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० 6 एस.एल.डबल्यू खाता सं० 270/215 मे से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/26..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



27
 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (सत्यनारायण R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 टिब्बी
 एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।